न्यायालय जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/157/2024	2024/270	19.11.2024	25.08.2025

1. अनिल कुमार पुत्र स्व श्री दीवानचन्द निवासी मकान नंबर 242, आदर्श नगर, (दाउदपुर) अलवर राज0 हाल किरायेदार प्लॉट नंबर 21 बी, जरावन्त नगर, अलवर राज0

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व0 श्री दीवानचन्द निवासी मकान नंबर 242, आदर्श नगर (दाउदपुर) अलवर राज0
2. राजेश कुमार पुत्र स्व0 श्री दीवानचन्द निवासी मकान नंबर 242, आदर्श नगर, (दाउदपुर) अलवर राज0

—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी अलवर दिनांक 06.08.2025 प्र0सं0 3/4 को बमुसाद मंसुख फरमाये जाने बाबत

उपस्थितः—
01—श्री दिनेश यादव —वकील अपीलांट
02—स्वयं —रेस्पोडेंट सं0 1
03—श्री प्रदीप चौधरी —रेस्पोडेंट सं0 2

—:निर्णयः—

अपीलाण्ट द्वारा अपील विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर के निर्णय दिनांक 06.08.2024 प्रकरण संख्या 3/4 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी कर तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से जर्ये मुख्यतयारनामा हवासिंह ने जवाब पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जर्ये वकील उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा अपील का जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। उभयपक्ष वकीलों की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ नागरिको का भरण—पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीया के जाईन्दा पुत्र है इसके अतिरिक्त प्रार्थी के 02 विवाहित पुत्रियां क्रमशः पुष्पावाई व आशा है प्रार्थी के पति स्व० श्री दीवान चन्द ने रेलवे रोड अलवर पर रेड स्टोन कंक्रीट के दरवाजे के फ्रेम, गले की एक दुकान द्वारा अपने चारो बच्चों की अच्छी परवरिश की। प्रार्थी के पति दीवाचंद का दिनांक 10—02—2019 को निधन हो चुका है । मकान नम्बर 242 आदर्श नगर अलवर का आध हिस्सा प्रार्थी के पति के नाम पर है जिस के प्रथम तल के आधे हिस्सो पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कब्जा है जिस पर वर्तमान में ताला लगा हुआ है। प्रार्थी केवल एक कमरे में अकेली रह रही है। इसके अतरिक्त दिल्ली अलवर रोड पर 02 व्यवसायिक प्लॉट लगभग 20 वर्गगज क्रमश प्रार्थी व उसके पति के नाम है जिस पर लगभग 15 वर्षो से अप्रार्थी कब्जा कर भवन निर्माण सामग्री का व्यवसाय चला रहा है। जिस बाबत पूर्व मे भी एक मुकदमा प्रार्थी के पति द्वारा दायर किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रार्थी स्वंय के नाम पर एक

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

आवासीय भूखण्ड 200 वर्गगज भी है । प्रार्थी के पति द्वारा उक्त सभी सम्पत्तियों की वसीयत अप्रार्थी संख्या 2 के नाम कर मूल दस्तावेज भी अप्रार्थी को सौंप दिये गये थे। प्रार्थी के पति अपनी मृत्यु तक कई बीमारियों जैसे मधुमेह किडनी का ठीक से काम ना करना, हृदय में रूकावट, घुटने और जोडो का दर्द इत्यादि से पीडित रहे किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा कभी भी कोई आर्थिक मदद या चिकित्सीय सहायता न की जाकर प्रार्थी की बडी पुत्री पुष्पाबाई व उनके पति निवासी मकान नम्बर 350 सेक्टर 29 फरीदाबाद द्वारा दिल्ली के अस्पताल में इलाज कराया गया। 2016 में प्रार्थी के पति बाईक एक्सीडेन्ट होने के कारण कूल्हे की हडडी टूट जाने पर भी सम्पूर्ण खर्चा बडी बेटी व दामाद द्वारा वहन किया गया जिसे बाद में प्रार्थी द्वारा लोटा दिया गया। प्रार्थी के पति की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्य 1 व उसकी पत्नी द्वारा लगभग एक साल तक ही प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा की गई इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा कोई सेवा सुश्रुषा न की गइ अपितु अप्रार्थी संख्या 2 व उसकी पत्नी द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 27–03–2024 को प्रार्थी अपनी बडी बेटी पुष्पाबाई व दामाद के साथ उनके घर फरीदाबाद आ गई तथा वर्तमान में वही निवास कर रही है। आदि पर अप्रार्थी01का कब्जा खाली कराये जाने व अपनी मूल सम्पत्ति के दस्तावेज व वसीयत अप्रार्थी संख्या 02 से वापिस प्राप्त करने का अनुतोष चाहा। बाद तलबी मिन अप्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अपना जवाब पेश किया गया एवं बाद अंतिम बहस प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 06–08–2024 को आदेश प्रदान कर मिन अपीलान्ट को 6000/–रूपये भरण पोषण दिलाये जाने एवं चिकित्सा व्यवस्था/दवाई/दूध/फल/कपडे/समय पर भोजन इत्यादि का प्रबंध करने का आदेश प्रदान किया गया है। जिसके विरूद्व यह अपील निम्न तथ्यो के साथ पेश की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय निर्णय/आदेश खिलाफ कानून व वाकेयात होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मिन अप्रार्थी/अपीलान्ट अपनी माता श्रीमति लक्ष्मी की समय समय पर देखभाल करता रहा है। अपीलान्ट उक्त कथित मकान में रिहायश नही करता है बल्कि प्लॉट नम्बर 21 बी जसवन्त नगर अलवर में किराये के मकान पर रहता है। अपीलान्ट व उसके पिता श्री दीवानचन्द जी रेड स्टोन के मोलडिंग, कंक्रीट के दरवाजे के फ्रेम आदि बनाने का काम करते रहे है। अपीलान्ट अपने पिता के साथ कांतला पटटी की दुकान पर बैठकर कार्य करता उसके पश्चात उक्त कार्य अलग से शुरू कर दिया तथा संयुक्त आय से उक्त जायदाद अर्जित की हुई है तथा अलग से कार्य कर अपने बच्चो का पालन पोषण करता है। अपीलान्ट व उसकी पत्नी सुनिता देवी द्वारा समय समय पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की वित्तीय और चिकित्सा व हर प्रकार की सहायता की हैं और आज भी समय समय पर देखभाल करता चला आ रहा है। जो तथ्य मिन अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब व बहस मे अर्ज किये थे लेकिन तहत अदालत द्वारा कोई गौर नही किया जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। पूर्व में अपीलान्ट के पिता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 के तहत मुकदमा अनुवानी दीवान चन्द बनाम अनिल प्रार्थना पत्र संख्या 3/16/2013 दायर किया गया था जो निर्णय दिनांक 20–06–2014 के द्वारा खारिज किया जा चुका है। लेकिन इस तथ्य पर भी अधिनरथ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही किया ।

रेस्पाडेनट संख्या 2 व पुत्रियां बाहर रहती थी और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व श्री दीवानचन्द तथामिन अपीलान्ट अपने परिवार सहित साथ रहते थे, ऐसी स्थिति में मिन अपीलान्ट के अलावा अन्य कोई सहायता करने वाला मौजूद नही रहता था और मिन अपीलान्ट ही आर्थिक एवं चिकित्सीय आदि सहायता करता था । मिन अपीलान्ट के अलावा अन्य कोई सहायता करने वाला मोजूद नही रहता था । ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कथनो पर अधिनरथ न्यायालय द्वारा बेजा विश्वास किया गया है ।

चिकित्सको द्वारा दिये गये परामर्शानुसार मिन अपीलान्ट अपने पिता को दिल्ली के बीएल कपूर अस्पताल में इलाज कराया और जिसका भुगतान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा किया गया । अपीलान्ट अलवर में रहता है और अपीलान्ट ही अपनी माता की देखभाल आदि सभी प्रकार की मदद करता चला आ रहा है। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी पुत्रियां व छोटे पुत्र के बहकावे व बरगलावे में है उनके

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

बहकावे में आकर ही गलत व झूठे तथ्यो से मौजूदा मुकदमा दायर किया है। स्टेशन रोड पर जो मेरे पिता की दुकान थी उसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा 10 हजार रूपये प्रतिमाह किराये पर दी हुई है और उसमें रखे सामान की कीमत के मद्दे 15 लाख रूपये में से 03 लाख रूपये भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्राप्त किये है। इस प्रकार उक्त दुकान से 10 हजार रूपये प्रतिमाह की आय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त रामनगर में भी एक 266.66 वर्गगज का मकान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम है। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के नाम भी 125 वगगज कोटा में मकान है और वह रेल्वे में लोको पायलेट है जिसे करीब 1.25 लाख रूपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। अपीलान्ट की पत्नी के भी समस्त जेवरात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे में है । वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पाडेन्ट संख्या 2 पूर्व में कोटा में कार्यरत : था जिसका तबादला रेवाडी हो गया उसके उपरांत रेवाडी से वह अप एण्ड डाउन करने लग गया । जिसने माता को भडका कर दोनो ने मिलकर मिन अपीलान्ट को परिवार सहित घर से निकाल दिया। जबकि इससे पूर्व माताजी मेरे साथ ही रहती चली आ रही थी और अपीलान्ट ही हर सम्भव मदद करता चला आ रहा था तथा आज भी मिन अपीलान्ट पूरी तरह मदद करनेको तैयार व तत्पर है तथा अब भी मिन अपीलान्ट समय समय पर जाकर अपनी माता की देखभाल करता चला आ रहा है।

रेस्पाडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में भरण पोषण की मांग नही की गई है बल्कि सम्पत्ति प्लॉट वगैरा सेखाली कराने की रिलिफ चाही गई है उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने रूप से भरण पोषण का आदेश प्रदान किया गया है। उक्त आदेश में प्रथम व द्वितीय लाईन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी व उसके पति द्वारा प्रस्तुत किया जाना अंकित किया है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र महज रेस्पाडेन्ट सं.1 द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का सही प्रकार से अवलोकन नही किया है।

मिन अपलान्ट मजदूर पेशा व्यक्ति है जबकि रेस्पाडेन्ट नम्बर 2 भारतीय रेलवे में कार्यरत और उसे 1.24 लाख रूपये वेतन मिलता है तथा उक्त प्रार्थना पत्र दोनो रेस्पाडेन्टान ने मिन अपीलान्ट से रंजिश रखते हुए प्रस्तुत किया है। मिन अपीलान्ट मजदूर पेशा व्यक्ति है और मजदूरी कर अपीलान्ट व अपनी दौ संतान की पढाई लिखायी व परवरिश कर रहा है तथा अपीलान्ट के बच्चे कम्पीटिशन की तैयार कर रहे हैं मिन प्रार्थी उनका खर्चा तक वहन करने में समक्ष नही है। ऐसी स्थिति में राशि अदा करने में पूरी तरह' सक्षम नही है। इसलिए भी उक्त आदेश मनसुख फरमाया जाना आवश्यक है।

अन्य उजात वक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेगे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 06–08–2024 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पाडेन्ट संख्या 01 की ओर से जरिये मुख्तयारनाम हवासिंह ने जवाब पेश किया गया। अपीलार्थी रेलवे रोड पर पुरानी दुकान पर अपने पिता के साथ काम कर रहा था लेकिन उसने वहां केवल 02 व 03 साल ही काम किया और वह उस समय केवल 27 और 28 साल का था। मेने और मेरे पति ने नये स्थान पर व्यवसाय शुरू करने के लिये इस दो भूखण्डों को खरीदने के लिये 40 साल तक कड़ी मेहनत की। वह कैसे कह सकता है कि दोनों भूखण्ड संयुक्त कमाई से खरीदे गये है और ये दोनों भूखण्ड क्रमशः मेरे पति के नाम और मेरे नाम पंजीकृत है। अपीलार्थी व उनकी पत्नी रानी देवी ने मेरे इलाज और अन्य जरूरतों के लिये कभी भी 01 भी रूपया खर्च नहीं किया न ही वर्तमान में मेरे लिये कुछ कर रहे है। वह बार–बार माननीय न्यायालय के सामने झूठा बयान देते है। कोई शक नहीं कि मेरा छोटा बेटा और मेरी दोनों बेटिया हमारे साथ नहीं रहे थे और अनिल कुमार अपनी पत्नी और 02 बेटियों के साथ आदर्श कॉलोनी में उसी मकान नंबर 242 में पहली मंजिल पर रह रहे थे। लेकिन मेरे पति ने 85 साल की उम्र में भी अपनी मृत्यु तक दैनिक जरूरतों और चिकित्सा व्यय के लिये काम किया मेरे दोनों बेटों अनिल कुमार और राजेश कुमार ने कभी भी अपने पिता के इलाज की जिम्मेदारी नहीं ली और न ही कोई पैसा खर्च किया उन्हें सिर्फ बी.एल. कपूर अस्पताल का नाम ही पता है। माननीय न्यायालय उस समय चल रहे इलाज के बारे में

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

पुछ सकता है और यह भी कि उनके द्वारा कितना खर्च किया गया और भुगतान किस तरह से किया गया और भर्ती होने की तारीख क्या थी। सच्चाई यह है कि सभी खर्च और चिकित्सा देखभाल मेरी बेटी पुष्पा बाई द्वारा की गई थी। सभी भुगतान मेरे बेटी के बैंक खाते से ही किये गये जिसके पास सभी भुगतानो का विवरण है। अपीलार्थी मजदूर व गरीब नहीं है वह एक व्यवसायी है पढा–लिखा है। पिछले 15 सालों से माता–पिता की जमीन प्लॉट नंबर 01 व 02 गांव बल्लावोड़ा, टेल्को सर्किल के पास 200 फीट रोड अलवर पर बिल्डिंग मेटेरियल का बड़ा करोबार प्रजापति बिल्डर्स एंड रोनेटरीवेयर चला रहा है और 3–4 लाख रूपये प्रतिमाह कमा रहा है और मैं लक्ष्मी देवी उनके व्यवहार, चतुराई और झूठ के कारण खाली हाथ हूं। एक दर्दनाक जीवन जी रही हूँ। क्योंकि उसने माता–पिता की खरीदी हुई संपत्ति पर कब्जा कर लिया है मुझे वर्तमान में कोई आर्थिक मदद नहीं दे रहा है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया जाकर कानून की मंशा देखी गई। अपीलाण्ट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के निर्णय दिनांक 06.08.2024 के संबंध में अनुतोष हेतु निवेदन किया गया है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण मकान बेदखली का प्रतीत होता है उक्त अधिनियम भारतीय समाज के रीति–रिवाजों पर आधारित है और व्यक्तिगत झगड़े को सुलझाने के लिये इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिये। पक्षकारान का पारिवारिक निवास का मामला पारिवारिक/दीवानी अदालत में उनके अन्य विवादस्पद विवादों के अधीन होगा। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत उक्त बिन्दु पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के अपने परिवाद में भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को माता को भरण–पोषण के लिये 06 हजार रूपये प्रतिमाह दिये जाने के आदेश दिये गये साथ ही उनकी पत्नियों के द्वारा उनकी माता के घर में निर्बाध रूप से रहने, उनकी स्वतंत्र रूप से घर के उपयोग/उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जावें। माता के साथ अभद्र व्यवहार व दुर्व्यवहार नहीं किया जावे एवं चिकित्सा व्यवस्था/दवाई/फल/दुध/कपड़े/समय पर भोजन इत्यादि का प्रबंध किया जावें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम 2007 निर्दिष्ट विधि अनुसार पारित निर्णय दिनांक 06.08.2024 उचित प्रतीत होता है जिसमें किसे प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है।उक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर का निर्णय दिनांक 06.08.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर राजस्थान